



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-350-औ0सं0-17/पाकालि/2024-11(04)एफ/86(वो0-3)

दिनांक: 29 जनवरी, 2024

विषय :- लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि दिनांक 30.04.2026 तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

कारपोरेशन के आदेश संख्या-2335-औ0सं0-17/पाकालि/2020-11(4)एफ/86 (वो0-111) दिनांक 27.08.2020 में निहित व्यवस्था/प्राविधानानुसार विभागीय सेवकों/सेवानिवृत्त कर्मिकों एवं पारिवारिक पेंशनरों व उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों की लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में करायी गयी चिकित्सा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत किये जाने हेतु कार्यालय ज्ञाप सं0-3900-औ0सं0-17/पाकालि/2023 दिनांक 28.08.2023 द्वारा दिनांक 30.06.2024 तक पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता अवधि कारपोरेशन के आदेश संख्या-320-औ0सं0-17/पाकालि/2024 दिनांक 24.01.2024 के दृष्टिगत उनको दी गयी पूर्व मान्यता अवधि के अनुक्रम में निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 30.06.2024 तक एतद्वारा निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

1. बाह्य रोगी के रूप में उपचार हेतु केवल औषधियों/दवाओं पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी। रक्त व अन्य परीक्षण/जॉच में हुए व्यय, तथा भोजन/न्यूटीशस वैल्यू बढ़ाने सम्बन्धी दवायें/टॉनिक तथा साफ सफाई सेनीटेशन आदि से सम्बन्धित व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी।
2. बाह्य रोगी के रूप में किसी भी चिकित्सालय में करायी गयी कीमोथेरेपी/रेडियोथेरेपी की चिकित्सा विधि एवं उसमें प्रयुक्त होने वाली दवाओं आदि पर आने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य की जायेगी। सी0टी0 स्कैन एवं एम0आर0आई0 की प्रतिपूर्ति तथा डायलिसिस के व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती आदेशों के अन्तर्गत यथावत् अनुमन्य होगी।

निम्नांकित सूचीबद्ध निजी चिकित्सालयों में लम्बी अवधि तक बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु कारपोरेशन के आदेश संख्या-3330-औसं/2018 दिनांक 8.08.2018 द्वारा निर्धारित सी0जी0एच0एस0-2014 की मानक दरें ही अनुमन्य की जायेंगी :-

क्रम सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद
1	फातिमा हास्पिटल महानगर, लखनऊ।
2	सेन्ट जोसेफ हास्पिटल गोमती नगर, लखनऊ।
3	सेन्ट मैरी पॉलीक्लीनिक, गुडम्बा, कुर्सी रोड, लखनऊ
4	नूर मंजिल साइक्याट्रिक सेण्टर, लालबाग, लखनऊ।
5	चिरंजीव हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, 2/ 57, विनय खण्ड-2, गोमतीनगर, लखनऊ,
6	अवध हास्पिटल, सिंगारनगर, कानपुर रोड आलमबाग, लखनऊ।
7	शेखर हास्पिटल, चर्च रोड इन्दिरानगर, सी-ब्लॉक, लखनऊ।
8	चन्द्रा मदर एण्ड आई केयर, 4/43, विवेक खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
9	ओ0पी0 चौधरी हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, चौधरी बिहार, रायबरेली रोड, लखनऊ
10	मिडलैण्ड हेल्थकेयर एण्ड रिसर्च सेण्टर, बी-55 एण्ड सी-42, मन्दिर मार्ग, महानगर, लखनऊ।
11	स्कार्ट ई0एन0टी0 हॉस्पिटल, महानगर, लखनऊ।
12	फोर्ड (नोवा) हॉस्पिटल, विकास खण्ड-1, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।

Punam

13	यथार्थ वेलनेस सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, एण्ड ट्रामा सेण्टर, प्लाट नं०-एन०एच०-32, एच०ओ०-1, सेक्टर- ओमेगा-1 ग्रेटर नोयडा (गौतमबुद्धनगर)
14	सेण्ट ल्यूक्स हास्पिटल, साकेत, मेरठ।
15	लोकप्रिय हास्पिटल सम्राट पैलेस, गढ़ रोड़ मेरठ।
16	धनवन्तरि जीवन रेखा हास्पिटल, 1-साकेत, मेरठ।
17	कमला नेहरू स्मारक अस्पताल एवं रीजनल कैंसर सेण्टर, इलाहाबाद।
18	नाजरथ हास्पिटल, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
19	जीवन ज्योति हॉस्पिटल, फाफामऊ, इलाहाबाद।
20	गुरु श्री गोरक्षनाथ चिकित्सालय, गोरखनाथ मन्दिर परिसर, गोरखपुर।
21	हेरिटेज हास्पिटल, लंका, वाराणसी।
22	काशी हॉस्पिटल, भिखारीपुर, हाइडिल गेट, डी०एल०डब्ल्यू, चुनार रोड़, वाराणसी।
23	बी०के० हार्ट इन्स्टीट्यूट प्रा०लि०, नेवादा डी०एल०डब्ल्यू रोड़, वाराणसी।
24	नयति मल्टी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, सांवरिया गैस स्टेशन के पीछे, नेशनल हाईवे-2, आगरा बाई पास रोड़, मथुरा।
25	आई०आई०एम०टी० हास्पिटल एण्ड रिसर्च सेण्टर, गणेशनगर, लॉयर्स कालोनी, बाईपास रोड़, आगरा।
26	हैप्पी फैमिली हॉस्पिटल, सिविल लाइन्स, झाँसी।
27	विवेकानन्द हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेन्टर, कांठ रोड़ मुरादाबाद।
28	क्लैरा स्वेन मिशन हॉस्पिटल, बरेली।
29	धर्मदत्त सिटी हॉस्पिटल, गांधीनगर, पीलीभीत रोड़, बरेली।
30	डा० जवाहर लाल रोहतगी स्मारक नेत्र एवं एसोसिएटेड रोहतगी हास्पिटल, सर्वोदय नगर, कानपुर।
31	ऑल इण्डिया इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइन्सेज, नई दिल्ली।
32	इन्द्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल, दिल्ली।
33	सरगंगा राम हॉस्पिटल, दिल्ली।
34	टाटा मैमोरियल हॉस्पिटल, डा० ई बोरगेस रोड़, परेल, मुम्बई।
35	शंकर नेत्रालय, चेन्नई।
36	अपोलो हॉस्पिटल, चेन्नई।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-350 (1) औस-17/पाकालि/2024-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रॉ०का०लि०, शक्ति भवन/उ०प्र० एस०एल०डी०सी० लि०, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का०प्र०) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० रा०वि०उ०नि०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
8. (प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
9. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० लखनऊ।

10. महानिदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनीनगर, लखनऊ।
11. मुख्य अभियन्ता, जॉच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
12. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
13. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
14. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/ उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/ वरि० कार्मिक अधिकारी/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पाकालि, लखनऊ।
15. महाप्रबन्धक (चिकित्सा)/ मुख्य चिकित्साधिकारी, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
16. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ।
17. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
18. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
19. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
20. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/पंजीकरण प्राधिकारी, उ०प्र०।
21. प्रबन्धकगण- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
22. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
23. कट फाइल।

भवदीय,

Prumal
29/11/24
(प्रदीप कुमार)
महाप्रबन्धक (औ०सं०)